



प्रभारी अधिकारी,

भारतीय जीवन बीमा निगम

पॉलिसी संख्या _____

वर्तमान पता:

टेलिफोन सं.

(अपना वर्तमान पता एवं पॉलिसी संख्या अवश्य लिखें)

प्रपत्र संख्या 5204

(निम्नांकित ऋण प्रार्थना-पत्र जहाँ अभ्यर्पित पॉलिसी पर ऋण नियमों और शर्तों का अंकन हो चुका हो अथवा जहाँ पॉलिसी 1.6.69 को या इसके पश्चात् जारी की गई हो ।)

(क) नया ऋण लेना हो जहाँ कोई पूर्व स्वीकार ऋण मौजूद ना हो ।

(ख) ऋण दुबारा जहाँ पूर्व स्वीकृत ऋण 6 प्रतिशत अथवा 7.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत अथवा 10.5 प्रतिशत पर विद्यमान हो । महोदय,

मुझे/हमको उपरोक्त पॉलिसी के अन्तर्गत _____ रुपये या अधिक तक उपलब्ध राशि ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपा करें । मैं/हम ऋण राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रति छः माही ब्याज देना स्वीकार करता हूँ/करते हैं ।

(1) मैं/हम उन नियमों और शर्तों से परिचित हूँ/हैं जिनके तहत ऋण दिया जायेगा । मैं/हम नियमों और शर्तों से भी अवगत हूँ/हैं जो पॉलिसी के पृष्ठ भाग पर अंकित की जा चुकी है अथवा जो ऋण शीर्षक धारा में मुद्रित शर्तों और अधिकारों में वर्णित हैं ।

(2) विधिवत पूरी की गई सम्बन्धित ऋण राशि की रसीद संलग्न है ।

भवदीय

(3) विधिवत आपके पक्ष में समनुदेशित पॉलिसी भी संलग्न हैं :

हस्ताक्षर { पुरुष बीमाधारी _____
महिला बीमाधारी _____

{ यहाँ पूर्व स्वीकृत ऋण विद्यमान है और पहले के ऋण के उक्त पॉलिसी पृष्ठ पर ऋण संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख है । }

प्रपत्र संख्या 5205

दिनांक _____

महोदय,

विषय: पॉलिसी संख्या _____

- मुझे/हमको पॉलिसी के अन्तर्गत रुपये.....का अधिकतम उपलब्ध राशि अग्रिम ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपा करें । मैं/हम प्रस्तुत ऋण राशि पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक दर से छः माही ब्याज देना स्वीकार करता हूँ/करते हैं:
- मैं/हम उन नियमों और शर्तों से अवगत हूँ/हैं जिनके आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा तथा मैं/हम यह भी जानते हैं कि संबंधित नियम और शर्तें पॉलिसी के पृष्ठभाग पर अंकित भी है ।

हस्ताक्षर { पुरुष बीमाधारी _____
महिला बीमाधारी _____

प्रपत्र संख्या 5198/5199

बीमाधारी द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये पॉलिसी का निगम के पक्ष में समनुदेशन (असाइनमेंट) का पत्र

मैं / हम हस्ताक्षरकर्ता _____ (पूरा नाम) बीमाकृत एवं _____ (पूरा नाम) बशर्ते समनुदेशनी हम संलग्न बीमाकृत पॉलिसी संख्या _____ में निहित मेरे/हमारे समस्त अधिकारी, पद एवं आर्थिक हित अनुदेशित करते हैं कि इस बीमाकृत पॉलिसी में एवं भविष्य में प्राप्त होने वाली रकम और उससे सम्बन्धित समस्त, निहित लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्थियों को पूर्ण रूपेण समनुदेशित है ।

स्थान _____ दिनांक _____ माह _____ 200

(1) हस्ताक्षर साक्षी _____

पूरा नाम _____

पद _____

पता _____

(2) हस्ताक्षर साक्षी _____

पूरा नाम _____

पद _____

पता _____

बीमाधारी के हस्ताक्षर { पुरुष बीमाधारी _____
महिला बीमाधारी _____

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषय वर्णित समनुदेशक को देशी भाषा में समनुदेशक को समझा दिया है एवं तत्पश्चात् उसने अपना हस्ताक्षर अथवा अंगूठा मेरी उपस्थिति में पूर्ण रूपेण समझकर किया है ।

साक्षी के हस्ताक्षर

ऋण राशि प्राप्ति रसीद का प्रपत्र

रु. _____ स्थान _____ दिनांक _____

मैं/हम (1) _____ (2) _____

एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जारी पॉलिसी सं. _____ के अन्तर्गत मुझे/हमें ऋण रूप में प्राप्त रु. _____ रु. (शब्दों में) _____ की धन राशि स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

नाम _____

पता जिस पर चैक भेजना है: _____

पुरुष 1.-

महिला 2.-

एक रुपये
की रसीदी
टिकट

बीमाधारी के हस्ताक्षर

अधिकार पत्र

यदि रसीद, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई हो तो और यह अपेक्षा की जाए की भुगतान हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक को अथवा उनके अतिरिक्त किसी अन्य को कर दिया जाए तो निम्नलिखित अधिकार पत्र उन सभी द्वारा हस्ताक्षरित होकर पूरा किया जाना चाहिए।

स्थान _____ दिनांक _____

मैं/हम एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार प्रदान करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त ऋण की धन राशि/उपरोक्त ऋण की राशि में से रु. _____ श्री _____ को भुगतान कर दिया जाए।

हस्ताक्षर { पुरुष बीमाधारी _____
महिला बीमाधारी _____

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस अधिकार विवरण (1) श्री _____
(2) श्री _____ को भली-भांति समझा दिया है और वह/वे इस बात से सहमत है/हैं कि उपरोक्त धन राशि का भुगतान अधिकार प्रदत्त व्यक्ति श्री _____ को कर दिया जाए।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

निर्देश-यदि उपरोक्त अधिकार-पत्र भरने वाले एक या दोनों व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते हैं तो अधिकार-पत्र के नीचे लिखी घोषणा किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जानी चाहिए और हस्ताक्षरों का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखना चाहिये। यदि एक अथवा दोनों हस्ताक्षरकर्ता निरक्षर हैं तो घोषणाकर्ता को यह पुष्टि करनी चाहिये कि निशानी अंगूठा उपरोक्त व्यक्तियों के ही हैं और यह भी कि निशानी अंगूठा उसके सामने लगाये गये हैं।

यदि ऋण की राशि 500 रु. से अधिक है तो घोषणाकर्ता निम्न में से होना चाहिए, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, सरकार द्वारा संचालित किसी उच्च माध्यमिक अथवा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य अथवा प्रधानध्यापक, राष्ट्रीयकृत बैंक का एजेंट, जीवन बीमा निगम का प्रथम श्रेणी का अधिकारी अथवा जीवन निगम का वह विकास अधिकारी, जिसकी नौकरी कम से कम 5 वर्ष की हो और जो अधिकारी-पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं को भली-भांति पहचानता हो। यदि किसी ऋण की राशि 500 रु. अथवा उससे कम हो तो घोषणाकर्ता तलाती, राजस्व अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत का प्रधान भी हो सकता है।

अनुदेशित (हिदायतें)

(1) उपरोक्त समनुदेशित का प्रपत्र फाड़ा जाकर पॉलिसी के पीछे रिक्त स्थान पर चिपकाकर पूर्ण करने की अवस्था में स्टाम्प व्यय नहीं करना है। यदि समनुदेशक किसी अन्य कागज पर सम्पादित किया जाता है तब उसके शब्दों की नकल स्टाम्प पर की जाती है जो (स्पेशियल एडहेसिव अथवा नॉन जुडिशियल) कागज समुचित मूल्य के हों। समनुदेशक के दस्तावेज को आगे प्रेषण करने से पूर्व स्वयं समनुदेशक को सन्तुष्ट चाहिये कि उस पर समुचित मूल्य के टिकट लगा दिये हैं।

(2) समनुदेशक को अपने हस्ताक्षर/अंगूठे निशानी-साक्षी की उपस्थिति में समनुदेशन पर करनी होगी। समनुदेशक यदि अशिक्षित है तो वह अपना अंगूठा निशानी, शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति में लगायें। ऐसी अवस्था में साक्षी करने वाले व्यक्ति को निम्न प्रमाण-पत्र देना होगा "प्रमाणित किया जाता है कि समनुदेशन के उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा देशी भाषा में इन्हें समझा दिये हैं तथा पूर्ण रूपेण समझने के बाद हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी मेरी उपस्थिति में की गई हैं।" ऐसी स्थिति में साक्षी व्यक्ति न्यायाधीश अथवा राजपत्रित होने चाहिये।